सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित ऑनलाइन वेब पोर्टल पर विद्यार्थी/शिक्षण संस्था/जिला कार्यालय में प्रदर्शित समस्याओं के समाधान

बेबसाइट **https://sje.rajasthan.gov.in** **SCHOLARSHIP PORTAL URL** https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship

छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्र 2023–24 में किये गये नवीन बदलाव

शिक्षण संस्थान के स्तर पर

1	**एसएसओ आई डी यूनिक व आधारबेस्ड**– छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड होगी।
2	**AISHE Code की अनिवार्यता**– पूर्व में पंजीकृत संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था की प्रोफाइल में प्रतिवर्ष AISHE Code (आईटीआई हेतु NCVT PR कोड)के माध्यम से ही अद्यतन किया जावेगा।
3	**NAAC Accreditation-** छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा सत्र 2023–24 की समाप्ति से पूर्व NAAC (National Assesment Accreditation Council)/NBA (National Board of Accreditation) से मान्यता/संबद्धता लिया जाना अनिवार्य होगा, ताकि उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2025–26 तथा उसके उपरान्त भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे। उक्त संबंध में संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों को अलर्ट हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवश्यक पॉप–अप प्रदर्शित होगा ।
4	**आधार बायोमैट्रिक प्श्चात ही लॉगिन**– छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा लॉगिन फिंगर प्रिंट/फेस रिकग्निशन/ आइरिश स्कैनिंग) के माध्यम से ही।
5	**विद्यार्थी की आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु आई. पी. एड्रेस अनिवार्यता**– शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार बेस्ड रियलटाइम बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु इंस्टिट्यूट को विभाग द्वारा केवल एक ही स्टेटिक आई. पी. एड्रेस अनुमत, परन्तु, संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदक होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई पी अनुमत

6	**आवेदन का नोडल ऑफिसर की आधार ओटीपी व उद्घोषणा पश्चात ही विभाग को अग्रेषण–** विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन में भरे गये समस्त डाटा एवं अपलोड दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा किया पुष्टि हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा उसके आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से स्वयं की उद्घोषणा पोर्टल पर विभाग को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही संस्था की ओर से छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित होकर अग्रेषित किया जायेगा।
8	संबंधित शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बैस्ड उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथा स्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर उसे अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
9	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बायोमैट्रिक उपस्थिति के प्रावधान से छूट होगी।
11	**फीस रसीद अपलोड–** विद्यार्थी द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन में संस्थान द्वारा मय सील प्रमाणित मूल फीस रसीद को अपलोड किया जावेगा कार्यालय प्रति को संबंधित संस्थान के छात्रवृति प्रभारी द्वारा अपलोड किया जावेगा। विद्यार्थी द्वारा अपलोड की गई फीस रसीद संबंधित संस्थान को पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
12	**चेतावनी हेतु पॉपअप**– संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधडी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर.) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

———